—:: प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 212 रा.का.अधि. बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा ::—

—:: उपस्थित अभिभाषकगण ::—

1. श्री शैलेन्द्र बिश्नोई —— प्रार्थी
2. श्री हीरालाल बिरथलिया —— अप्रार्थी सं. 1
3. श्री महेन्द्र सैन ——अप्रार्थी सं 2 व 3
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पीलीबंगा —— अप्रार्थी संख्या 4

—:: निर्णय :—

दिनांकः— 25/03/2006

अधिवक्ता प्रार्थीया श्री शैलेन्द्र बिश्नोई द्वारा प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए प्रस्तुत किया गया है जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि—यह कि उक्त अमवानी वाद—पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत हो चुका है व मामला प्रार्थीया सुदृढ आधारों पर आधारित होने के कारण प्रार्थीया को उक्त वाद—पत्र में कामयाबी की पूर्ण उम्मीद है। प्रथम

दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन व अपरिमेय क्षति के बिन्दु हर प्रकार से प्रार्थीया के पक्ष में साबित है।

यह कि वाद पत्र की नौईयत को समझने के लिए वादी एवं प्रतिवादीगण का सजरा खानदान प्रस्तुत किया गया है। यह कि वादी के दादा श्री कालूराम पुत्र श्री अणदा राम जाति ब्राहमण निवासी पीलीबंगा गांव के नाम से तहसील पीलीबंगा के चक नं0 5 एन एस डब्लयु जमाबंदी सम्वत् 2008—74 के खाता संख्या 3 के पत्थर नं0 41/336 (9) किला नं0 21 से 25, प0नं0 41/337 (16) किला नं0 1/1/228, 1/2/.025, 2/1/.228, 2/2/.025, 3/1/.228, 3/2/.025, 4/1/.228, 4/2/.025, 5/1/.202, 5/2/.051, 6/1/.227, 6/2/.026, 7 ता 13 कुल 4.554 हैक्टयर कृषि भूमि मय गैर मुमकिन खाला दर्ज राजस्व रिकार्ड थी। प्रतिलिपी जमाबन्दी संलग्न वाद–पत्र है ।

यह कि वादी के पिता श्री कालूराम का निधन हो चुका है व श्री कालूराम के निधन के बाद वाद–पत्र की चरण संख्या 3 में वर्णित उनके नाम दर्ज भूमि उनके विधिक वारिसान वादी के पिता औमप्रकाश व प्रतिवादी संख्या 1 से 3 तथा मनोहरी व बकशरी पुत्रीयान कालूराम को बहिस्सा बराबर अर्थात प्रत्येक 1/6–1/6 हिस्सा औद हुई। इस प्रकार वादी के पिता औमप्रकाश व प्रतिवादी संख्या 1 से 3 व स्व० कालूराम की अन्य 2 पुत्रीयां मनोहरी व बकशरी प्रत्येक 1/6–1/6 हिस्सा के हकदार सहखातेदार काश्तकार हुए चूंकि वादी के पिता श्री औमप्रकाश का देहान्त हो चुका है व उनकी मृत्यु के बाद उनके हक हिस्सा की भूमि के वादी व प्रतिवादी संख्या 4 से 8 बहिस्सा बराबर के हकदार खातेदार है।

यह कि वाद–पत्र की चरण संख्या 4 में वर्णितानुसार वादी के दादा स्व० श्री कालूराम की 2 पुत्रीयां अर्थात इस खाता की सहखातेदारान मनोहरी व अमीलाल शर्मा कशरी ने अपना मिलने वाला हक विरासतन 2/6 हिस्सा का परित्याग अकेले प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में जरिये दस्तावेज दस्तबरदारी दिनांक 11.09.2025 कर दिया है व इस दस्तावेज दस्तबरदारी के आधार पर उक्त भूमि का नामांतरण भी राजस्व अभिलेख में प्रतिवादी संख्या 1 अकेले के नाम से दर्ज हो चुका है, जबकि वादी के पिता औमप्रकाश की बहिनें व इस खाता की सहखातेदारान मनोहरी व बकशरी द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 अकेले के पक्ष में हक तर्क किया जाना कतई गलत व विधि विरूद्ध हैं क्योकि कोई भी सहहिस्सेदार किसी विशिष्ट सहहिस्सेदारों के पक्ष में अपना हक तर्क नहीं कर सकता। मनोहरी व बकशरी वादी के पिता औमप्रकाश व प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की सगी बहिनें है व उनके द्वारा त्याग किया गया 2/6 हिस्सा स्व० कालूराम के शेष समस्त वारिसान अर्थात वादी के पिता औमप्रकाश व प्रतिवादी संख्या 1 से 3 को बहिस्सा बराबर प्राप्त होगा व कानूनन एक सहिस्सेदार द्वारा अपना त्याग करने पर शेष सभी सहहिस्सेदार का हिस्सा उसी अनुपात में बढेगा। विधिनुसार वादी के पिता श्री औमप्रकाश की बहिनें मनोहरी व बकशरी द्वारा रजिस्टर्ड दस्तावेज दस्तबरदारी दिनांक 11.09.2025 के अन्तर्गत अपना हक तर्क कर दिये जाने से स्व० कालूराम के शेष वारिसान वादी के पिता औमप्रकाश व प्रतिवादी संख्या 1 से 3 को अनुपातिक रूप से यह हिस्सा प्राप्त हुआ है। जिससे वादी के पिता व प्रतिवादी संख्या 1 से 3 स्व० कालूराम से विरासतन प्राप्त भूमि में बहिस्सा बराबर अर्थात प्रत्येक 1/4–1/4 हिस्सा भूमि के हकदार खातेदार काश्तकार है चूंकि वादी के पिता श्री औमप्रकाश का देहान्त हो चुका है जिससे उनके 1/4 हिस्सा भूमि के वादी व प्रतिवादी संख्या 4 से 8 बहिस्सा बराबर के हकदार खातेदार काश्तकार है व वादी इस आशय की घोषणा प्राप्त करने का अधिकारी है कि वाद–पत्र की चरण संख्या 3 में वर्णित चक नं0 5 एन एस डब्लयु जमाबंदी सम्वत् 2076—79 के खाता संख्या 3 में दर्ज कुल 4.554 हैक्टयर कृषि भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 4 से 8

कुल 1/4 हिस्सा भूमि के बहिस्सा बराबर के हकदार खातेदार है व इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद करवाने की अधिकारणी है। 6. यह कि वाद पत्र की वरण संख्या 5 में वर्णितानुसार प्रश्नगत भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 4 से 8 कुल 1/4 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 से 3 प्रत्येक का 1/4–1/4 हिस्सा का हक व अधिकार है लेकिन प्रतिवादी सं० 1 ने दस्तावेज दस्तबरदारी दिनांक 11.09.2025 के आधार पर राजस्व अभिलेख में अपने अकेले के नाम 1/2 हिस्सा भूमि दर्ज करवा ली है व राजस्व रिकार्ड में अधिक भूमि दर्ज हो जाने से प्रतिवादी संख्या 1 के मन मेजा लालच पैदा हो गया है व प्रतिवादी संख्या 1 वादी व प्रतिवादी संख्या 4 से 8 को उनके वैध हिस्सा से वंचित करने की गर्ज से उक्त भूमि को अन्य व्यक्तियों को रहन, बैय व मुन्ताकिल करने व वादी को उसके संयुक्त कब्जा काश्त में हस्तक्षेप करने को कटिबद्ध हैं जबकि प्रतिवादी संख्या 1 को ऐसा करने का कतई कोई अधिकार नही है। अगर दौराने वाद प्रतिवादी संख्या 1 अपने इस गैर कानूनी मंशा एवं मकसद में कामयाब हो गया तो वादी को अपूर्णीय क्षति होगी। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन व अपरिमेय क्षति के बिन्दु हर प्रकार से वादी के पक्ष में है। इन परिस्थितियों में वादी प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्ध इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है कि प्रतिवादी संख्या 1 वाद–पत्र की वरण सं0 3 में वर्णित चक सं0 5 एन एस डब्लयु जमाबंदी सम्वत् 2076–79 के खाता संख्या 3 में दर्ज कुल 4.554 हैक्टयर कृषि भूमि को अन्य व्यक्तियों को रहन, बैय व मुन्ताकिल करने व वादी को उसके संयुक्त आधिपत्य व धारण में बेदखल करने से निषिद्ध रहें ।

अतः प्रार्थना–पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना–पत्र प्रार्थी विरूद्ध अप्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर ताफैसला वाद अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जावे कि अप्रार्थी संख्या 1 वाद–पत्र की वरण सं0 3 में वर्णित चक सं0 5 एन एस डब्लयु जमाबंदी सम्वत् 2076–79 के खाता संख्या 3 में दर्ज कुल 4.554 हैक्टयर कृषि भूमि को अन्य व्यक्तियों को रहन, बैय व मुन्ताकिल करने व प्रार्थी को उसके संयुक्त आधिपत्य व धारण में बेदखल करने से निषिद्ध रहें ।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर बाद रिपोर्ट सरिस्ता दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी अधिवक्ता की एक पक्षिय बहस सुनी जाकर अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई है। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से श्री हीरालाल बिरथलिया अधिवक्ता हाजिर होकर वकालतनामा मय जवाब प्रस्तुत किया गया है जबाव प्रार्थना पत्र अप्रार्थी अप्रार्थी सं. 1 रामनारायण की ओर से निम्न प्रकार –यह कि प्रार्थना पत्र की मद सं. 1 इद हद तक स्वीकार है कि प्रार्थी द्वारा माननीय न्यायालय मे वाद पत्र प्रस्तुत किया गया है लेकिन प्रार्थी को उक्त वाद पत्र मे किसी प्रकार से भी सफलता प्राप्त नही होगी। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन, अपरिम क्षति के बिन्दु प्रार्थी के पक्ष मे कभी नही रहे है। यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 2 साजरा खानदान से संबंधित है जो कि स्वीकार है। यह कि प्रार्थना पत्र की मद सं. 3 राजस्व रिकॉर्ड से संबंधित नही होने से अस्वीकार है क्योंकि वर्तमान राजस्व अभिलेख मे उक्त कृषि भूमि मिन अप्रार्थी के पिता कालूराम के नाम से दर्ज नही होकर वर्तमान राजस्व राजस्व अभिलेख मे चक 5 एनएसडब्लयू के खाता सं. 3/6 के प.नं. 41/336 के किला नं. 21 ता 25, प.नं. 41/337 के किला नं. 1/1 ता 13 कुल तादादी 4.554 हैक. मे मिन अप्रार्थी सं. 1 का 1/2 हिस्सा व प्रार्थी के पिता स्व. ओमप्रकाश का 1/6 हिस्सा दर्ज राजस्व अभिलेख है।

यह कि प्रार्थना पत्र की मद सं 4 इस हद तक स्वीकार है कि वाद पत्र की मद सं. 3 मे वर्णित 4.554 हैक. कृषि भूमि पूर्व मे श्री कालूराम के नाम से दर्ज राजस्व अभिलेख थी जिनके देहान्त के पश्चात वादग्रस्त कृषि भूमि उनके वारिसान को ओद हुई अर्थात प्रार्थी के पिता स्व.

ओमप्रकाश को 1/6 हिस्सा हक व हिस्सा विरासतन प्राप्त हुआ है जो कि वर्तमान राजस्व अभिलेख मे दर्ज है तथा प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 4 ता 8 जो कि स्व. ओमप्रकाश के जायज व कानूनी उत्तराधिकारी है को वादग्रस्त कृषि भूमि मे 1/6 हिस्सा का हक व हिस्सा है जिसकी प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 4 ता 8 नामान्तरण प्राप्त करने के अधिकारी है या प्रार्थी स्व. ओमप्रकाश के नाम अंकित 1/6 हिस्सा की कृषि भूमि का विरासतन नामान्तरण तहसीलदार पीलीबंगा के आवेदन कर विरासतन नामान्तरण दर्ज करवा सकता है जो कि प्रार्थी द्वारा ऐसा नही किया जाकर यह वाद पत्र प्रस्तुत किया है जो कि कानूनन कायम खारिज योग्य है।

यह कि प्रार्थना पत्र की मद सं. 5 मे वर्णित कथन कानून एवं तथ्यों के विरूद्ध, भ्रामक एवं असत्य तथ्यों पर आधारित है जो कि प्रारंभिक स्तर पर ही खारिज किये जाने योग्य है। प्रार्थी को उक्त परित्याग या पंजीकृत दस्तावेज हस्तान्तरणी के संबंध मे वाद प्रस्तुत करने कोई वैधानिक अधिकार प्राप्त नही है क्योंकि जिस कृषि भूमि के संबंध मे वाद प्रस्तुत किया गया है, वह पूर्व मे वैधानिक रूप से मिन अप्रार्थी सं. 1 के पक्ष मे हस्तांतरित हो चुकी है। मिन अप्रार्थी सं. 1 की बहने मनोहरी व बसकरी को अपने पिता से विरासतन प्राप्त हिस्सा है जो कि उनकी स्वयं अर्जित कृषि भूमि होने के कारण तथा मिन अप्रार्थी सं. 1 से हार्दिक स्नेह एवं लगाव होने से मिन अप्रार्थी सं. 1 की बहने मनोहरी व बसकरी द्वारा अपना स्वयं अर्जित हिस्सा पूर्ण होश हवास, स्वतंत्र ईच्छा एवं बिना किसी दबाव बहकाव के मिन अप्रार्थी सं. 1 के पक्ष मे हस्तांतरित किया था जो कि कानूनन वैध है। प्रार्थी का यह कथन कि मनोहरी व बसकरी को मिलने वाला हक विरासतन 2/6 हिस्सा का परित्याग अकेले अप्रार्थी सं. 1 के पक्ष मे अवैध दस्तावेज हस्तान्तरणी दिनांक 11.09.2025 के जरिये कर दिया है जो कि कानूनी रूप से गलत है। विधि मे ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है कि विरासतन से प्राप्त हिस्सा किसी विशेष व्यक्ति को नहीं दिया जा सकता है। हिन्दु उत्तराधिकारी अधिनियम की धारा 14 के तहत किसी भी महिला को विरासतन प्राप्त हिस्सा, उसकी स्वयं अर्जित कृषि भूमि की श्रेणी मे आती है तथा वह अपना स्वयं अर्जित हिस्सा किसी भी रूप से हस्तांतरित करने को स्वतंत्र है। अतः प्रार्थी मिन अप्रार्थी सं. 1 को मनोहरी व बसकरी से प्राप्त हिस्सा मे से किसी प्रकार से कोई हक व हिस्सा कानून रूप से प्राप्त करने का अधि कारी नही है। इसलिए प्रार्थी का वाद पत्र प्रथम दृष्टया ही कानून व तथ्यों के विपरित होने के कारण से खारिज योग्य है।

यह कि प्रार्थना पत्र की मद सं. 6 अस्वीकार है। मिन अप्रार्थी सं. 1 की बहने मनोरी व बसकरी मिन अप्रार्थी सं. 1 से हार्दिक स्नेह रखती है और मिन अप्रार्थी सं. 1 ने अपनी बहनों को हर तीज त्यौहार पर घर लाकर अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया है और मिन अप्रार्थी सं. 1 ने ही अपने बहनो के मायरा इत्यादि भरकर अपने कर्तव्य का निर्वहन किया है, प्रार्थी द्वारा कभी भी मनोहरी व बसकरी के प्रति अपने दायित्वों का निर्वहन नही किया है जिसके कारण से ही मिन अप्रार्थी सं. 1 की बहने मनोहरी व बसकरी ने अपनी स्वयं अर्जित भूमि अपनी स्वतंत्र ईच्छा सहमति व पूर्ण होश हवास से मिन अप्रार्थी सं. 1 के पक्ष मे हस्तांतरित की है जो की कानूनन सही है इसलिए प्रार्थी मिन अप्रार्थी सं. 1 की कृषि भूमि मे से कोई हक व हिस्सा की घोषणा प्राप्त करने का अधिकारी नही है और मिन अप्रार्थी सं. 1 रिकॉडर्ड खातेदार काश्तकार है जिसे प्रार्थी स्थायी व्यादेश प्राप्त कर मिन अप्रार्थी सं. 1 के उपयोग व उपभोग मे विघ्न पैदा नही कर सकता है इसलिए प्रार्थी को किसी प्रकार से कोई अपूर्णीय व अपरिमय क्षति कारित नही हो रही है, मात्र मिन अप्रार्थी सं. 1 को तंग परेशान करने के उद्देय से तथ्यों के विपरित जाकर अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करना चाहता है जो कि न्यायसंगत अस्थाई निषेधाज्ञा मिन अप्रार्थी सं. 1 के विरूद्ध जारी नही की जा सकती है। अतः जबाव दावा पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र तथ्यों, न्याय के सिद्धांतों के विपरित होने से प्रारंभिक स्तर पर ही योग्य है।

अप्रार्थी संख्या 2 व 3 की ओर से श्री महेन्द्र सैन अधिवक्ता हाजिर जवाब प्रस्तुत किया गया है जवाब अप्रार्थी सं. 2, 3 की ओर से निम्न प्रकार से है —यह कि प्रार्थना पत्र की मद सं. 1 इस हद तक स्वीकार है कि वादी द्वारा माननीय न्यायालय मे वाद पत्र प्रस्तुत किया गया है लेकिन वादी को उक्त वाद पत्र मे किसी प्रकार से भी सफलता प्राप्त नही होगी। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन, अपरिग क्षति के बिन्दु प्रार्थी के पक्ष मे कभी नही रहे है। यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 2 राजस्व खानदान से संबंधित है। यह कि प्रार्थना पत्र की मद सं. 3 अस्वीकार है। वर्तमान राजस्व अभिलेख की जमाबन्दी अनुसार वक 5 एनएसडब्लयू के खाता सं. 366 के प.नं. 41/336 के किला नं. 21 ता 25, प.नं. 41/337 के किला नं. 1/1 ता 13 कुल तादादी 4.554 हैक. कमाण्ड म.गै.मु. खाला मे मिन अप्रार्थी सं. 2-3 प्रत्येक का 1/6-1/6 हिस्सा, अप्रार्थी सं. 1 का 1/2 हिस्सा व वादी के पिता स्व. ओमप्रकाश का 1/6 हिस्सा दर्ज राजस्व अभिलेख है।

यह कि प्रार्थना पत्र की मद सं 4 इस हद तक स्वीकार है कि प्रार्थना पत्र की मद सं. 3 मे वर्णित 4.554 हैक. कृषि भूमि पूर्व मे श्री कालूराम के नाम से दर्ज राजस्व अभिलेख थी जिनके देहान्त के पश्चात वादग्रस्त कृषि भूमि उनके वारिसान को ओद हुई। इससे स्पष्ट है कि मिन अप्रार्थीगण को अपने पिता से विरासतन प्राप्त कृषि भूमि मिन अप्रार्थीगण की स्वयं अर्जित कृषि भूमि की श्रेणी में आती है।

यह कि प्रार्थना पत्र की मद सं. 5 मे वर्णित कथन जिस प्रकार से अंकित किये गये है, असत्य, मनगढ़त होने से अस्वीकार है। इस संबंध मे यहां यह उल्लेख किया जाना आवश्यक है कि मिन अप्रार्थीगण की बहने मनोहरी व बशकरो द्वारा प्रश्नगत कृषि भूमि मे अपने हक व हिस्सा की स्वयं अर्जित भूमि अपनी स्वतंत्र ईच्छा सहमति व पूर्ण होश हवास से अप्रार्थी सं. 1 से हार्दिक स्नेह होने के कारण अप्रार्थी सं. 1 के पक्ष मे दिनांक 11. 09.2025 को राजस्व अभिलेख इन्द्राज करवाई, क्योंकि मिन अप्रार्थीगण व मनोहरी व बसकरों के पिता कालूराम के देहान्त के उपरान्त समस्त सामाजिक रिति रिवाज अप्रार्थी सं. 1 के द्वारा ही किये गये थे और मनोहरी व बसकरों के पुत्र पुत्रीयों के विवाह की समस्त रस्में अप्रार्थी सं. 1 के द्वारा ही की गई थी, इस कारण मनोहरी देवी व बसकरों ने अपनी स्वयं अर्जित भूमि अप्रार्थी सं. 1 के नाम से राजस्व अभिलेख मे इन्द्राज करवाई जिसमे प्रार्थी व शेष अप्रार्थीगण का कोई हक व हिस्सा नही बनता है। इस कारण वादी को मनोहरी देवी व बसकरो की स्वयं अर्जित सम्पति मे विधि अनुसार कोई हक व हिस्सा प्राप्त करने के अधिकारी नही है। प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 4 ता 8 का ओमप्रकाश के नाम वर्णित 1/6 हिस्सा मे हक व हिस्सा बनता है जिसका वे विरासतन नामान्तरण करवाने के अधिकारी हैं।

यह कि प्रार्थना पत्र की मद सं. 6 जिस तरह से अंकित किये गये है मनगढ़त, असत्य होने से अस्वीकार है। जैसा की पूर्व मे उल्लेखित किया जा चुका है कि मृतक कालूराम के 6 विधिक वारिसान है जिसमे प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 4 ता 8 के पति, पिता ओमप्रकाश का देहान्त हो चुका है और अप्रार्थी सं. 1 व मिन अप्रार्थीगण के अलावा मिन अप्रार्थीगण की बहने मनोहरी व बसकरो मृतक कालूराम के विधिक वारिसान है और मनोहरी व बसकरो द्वारा अपने हक व हिस्सा की स्वयं अर्जित भूमि अप्रार्थी सं. 1 के पक्ष मे राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज की जा चुकी है तथा वर्तमान राजस्व अभिलेख मे वादी व अप्रार्थी सं. 4 ता 8 के पति, पिता ओमप्रकाश के नाम उनका 1/6 हिस्सा राजस्व अभिलेख मे दर्ज है, उससे से वादी व अप्रार्थी सं. 4 ता 8 प्रत्येक ब. हि. ब. का हक व हिस्सा प्राप्त करने के अधिकारी हैं। प्रश्नगत कृषि भूमि मे प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 4 ता 8 का 1/4 हक व हिस्सा नही बनता है और ना ही वादी इस आशय की खातेदारी घोषणा प्राप्त करने का अधिकारी है तथा हस्तगत कृषि भूमि राजस्व रिकॉर्ड मे

संयुक्त खाता में दर्ज होने के कारण प्रार्थी द्वारा मिन अप्रार्थीगण को तंग परेशान करने की गर्ज से यह वाद पत्र प्रस्तुत किया है जबकि विधि अनुसार वादग्रस्त कृषि भूमि मिन अप्रार्थीगण की स्वयं अर्जित कृषि भूमि है तथा मिन अप्रार्थीगण रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है तथा रिकॉर्डेड खातेदार व सहखातेदार के विरुद्ध किसी भी प्रकार से अस्थाई निषेधाज्ञा प्रदान नहीं किया जा सकती है इस कारण प्रार्थी का किसी प्रकार से प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपरिमय क्षति के बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में नहीं होने के कारण प्रार्थी मिन अप्रार्थीगण के विरुद्ध किसी प्रकार से अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है।

अतः जवाब प्रार्थना पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र शून्य एवं आधारहीन होने से खारिज योग्य है।

प्रार्थना पत्र में प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा शेष अप्रार्थीगण को तरमीमी पक्षकार माना है। तथा स्टेट जवाब वाद पत्र में अपेक्षित है।

प्रार्थना पत्र में बहस अधिवक्ता उभय पक्ष सुनी गई। बहस उभय पक्ष का मनन किया गया पत्रावली व प्रस्तुत दस्तावेजों ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र 212 आरटीए को हम अस्थाई निषेधाज्ञा के आवश्यक एवं सारभूत निम्नलिखित तीन बिन्दुओं के विवेचन के आधार पर प्रकरण को निर्णित करना आवश्यक समझते है–

1. **प्रथम दृष्टया मामला** :– प्रथम दृष्टया मामला का तात्पर्य यह है कि वादपत्र और उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजात के अवलोकन मात्र से यह विश्वास करने का पर्याप्त कारण हो कि वादग्रस्त आराजी में प्रार्थी को अनुतोष प्राप्त करने का पर्याप्त आधार प्राप्त है तथा प्रार्थी के हक हिस्सों की घोषणा के लिए न्यायालय हाजा में अन्तर्गत धारा 88–188 आरटीए वाद जैरकार जिसमें साक्ष्य सबूतों एवं तनकीयात के आधार पर प्रार्थीया को अपना वाद साबित करना है। प्रस्तुत दस्तावेजों से प्रथम दृष्टया वर्णित वाद भूमि प्रार्थी की पैतृक संपति होने के कारण प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में साबित होता है व विरुद्ध अप्रार्थीगण साबित है।

2 **सुविधा का संतुलन** :–अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रकरण में सुविधा का संतुलन एक आवश्यक एवं महत्वपूर्ण घटक है। इसका सामान्य तात्पर्य यह है कि यानि हस्तगत प्रकरण में व्यादेश नहीं दिया तो प्रार्थी को अधिकतम असुविधा होगी चुंकि प्रस्तुत दस्तावेजों से प्रार्थी ने पूर्व में किये गए हकत्याग के संबंध में वर्णन किया है जिसके संबंध में अप्रार्थीगण को उनके हिस्से पर अस्थाई निषेधाज्ञा से पावन्द किया जाता है क्योंकि प्रश्नगत रकबा में प्रार्थी के हक्क हिस्सा यदि निहित है इस लिए सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में साबित होता है।

3 **अपूर्णीय क्षति** :– अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रकरण में अपूर्णीय क्षति के बिन्दू से तात्पर्य यह है कि यदि हस्तगत प्रकरण में व्यादेश नहीं दिया जाता है तो प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी। उक्त प्रकरण में प्रार्थी द्वारा अपने हकों की घोषणा के लिए अन्तर्गत धारा 88–188 आरटीए के तहत वाद जैरकार है जिसमें गुणावगुण पर निर्णय पारित किया जाना है उस से पूर्व यदि प्रश्नगत रकबा बेचान/रहन हो जाता है तो प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होने की संभावना है।

अतः उपरोक्त विवेचनानुसार एवं प्रस्तुत दस्तावेजों तथा अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनो बिन्दू प्रार्थी के पक्ष में व विरुद्ध अप्रार्थी साबित होने के कारण प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 212 आरटीए साबित होने के कारण मय अस्थाई निषेधाज्ञा ता दावा फैसला कन्फर्म किया जाता है।

आदेश को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में दिनांक 25/03/2026 सुनाया गया। निर्णय शामिल पत्रावली हो। पत्रावली फैसला होकर दाखिल दफतर हो।

(उमा मित्तल आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
पीलीबंगा